

प्रारूप-25.

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण-पत्र

विषय:- विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत जोशीमठ श्रोत संबर्द्धन (दीर्घकालीन) पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.149 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव सं0 FP/UK/WATER/26619/2017)

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित परियोजना की नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से निकटतम हवाई दूरी 10.10 किमी0 है। पेयजल लॉइन निर्माण हेतु जिस स्थल(ग्राम भौरपौ) की दूरी दर्शायी गयी है वह क्षेत्र नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ वन प्रभाग के सीमा के अन्तर्गत आता है जहां पर वन्य बाहुल्य क्षेत्र नगण्य है, जिस कारण वन्य जीवों के वासस्थल आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित पेयजल योजना से जोशीमठ नगर क्षेत्र लाभान्वित होंगे जिसकी जनसंख्या 19292 है।

अतः प्रस्तावित पेयजल निर्माण की संस्तुति की जाती है।

उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

संख्या-1528 / 12-1(11), दिनांकित-13-10-2018

प्रतिलिपि-

- 1- प्रमुख वन संरक्षक(वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक ख 767/22-1-2, दिनांक 06.10.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन, विकास एवं निर्माण निगम, गोपेश्वर, जिला-चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

Photocopy Attached

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
गोपेश्वर (चमोली)

प्रमाण पत्र

उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ के पत्रांक 1528/12-1(11) दिनांक 12.10.2018 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित परियोजना की नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क के संरक्षित क्षेत्र की बाहरी सीमा के निकटतम हवाई दूरी 10.10 कि०मी० है। प्रस्तावित पेयजल योजना से जोशीमठ नगर क्षेत्र लाभान्वित होंगे जिसकी जनसंख्या 19292 है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पार्क के संरक्षित क्षेत्र के बाहरी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर स्थापित वाटर होल्स के लिये कार्यदायी संस्था पानी उपलब्ध करायेंगे।

अतः प्रस्तावित पेयजल निर्माण की संस्तुति की जाती है।

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड
85-राजपुर रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन नं०-0135-2742884 फैक्स-2745691 ई-मेल- cwlwua@yahoo.co.in

दिनांक 23-10-2018

पत्रांक 1115/12-1 देहरादून

प्रतिलिपि— उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन, विकास एवं निर्माण निगम, गोपेश्वर, जिला-चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Phoreday Assisted

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
गोपेश्वर (चमोली)

(मोनिष मल्लिक)

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड